भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-927

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

समग्र शिक्षा अभियान के खेल और शारीरिक शिक्षा (पीई) घटक के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधियां

† 927.श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री संजय दिना पाटील:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के खेल और शारीरिक शिक्षा घटक के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्यालयों में खेल अवसंरचना के विकास के लिए इस घटक के अंतर्गत निधियों का उपयोग किया गया है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सृजित अथवा स्तरोन्नत की गई खेल अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अवसंरचना विकास हेतु विद्यालयों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या ग्रामीण और जनजातीय विद्यालयों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस घटक के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) खेल अवसंरचना के संदर्भ में ग्रामीण/जनजातीय और शहरी विद्यालयों के बीच अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) इस योजना के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(छ) क्या सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के खेल और शारीरिक शिक्षा घटक के परिणामों का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो विशेषकर खेलों में छात्रों की भागीदारी में सुधार लाने के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान खेल और शारीरिक शिक्षा घटक के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य द्वारा आवंटित और उपयोग की गई धनराशि निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	अनुमोदन (लाख में)	व्यय (लाख में)
2019-2020	4711.15	0
2020-2021	0	0
2021-2022	4681.4	0
2022-2023	4682.8	14.95
2023-2024	4677.55	386.14

स्रोत: प्रबंध

(ग) से (छ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू की जाती है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के साथ फिर से डिजाइन और अनुकूलित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को क्षेत्र और श्रेणी से परे एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच मिले। इस योजना के मानदंडों के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास सहित उनकी आवश्यकताओं/प्राथमिकता के अनुसार तैयार की गई वार्षिक योजनाओं के आधार पर धनराशि जारी की जाती है और उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होती है, जिनका मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा किया जाता है। इस योजना में खेल और शारीरिक शिक्षा घटक शामिल हैं जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए खेल उपकरणों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। सरकारी स्कूलों में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक

विद्यालयों के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से खेल उपकरणों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना के नए मानदंडों के अनुसार, यदि उस स्कूल के कम से कम 2 छात्र खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में पदक जीतते हैं, तो स्कूलों को प्रति स्कूल 25000 रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

इस योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों के लिए गैर-कार्यात्मक स्कूल उपकरणों के प्रतिस्थापन और खेल सामग्री, खेल उपकरण, खेल आयोजनों के आयोजन, प्रयोगशालाओं, बिजली शुल्क, इंटरनेट, जल, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए उपभोग्य सामग्रियों जैसे अन्य आवर्ती लागतों के लिए वार्षिक आवर्ती स्कूल समग्र अनुदान भी प्रदान की जाती है। अनुदान की राशि स्कूल में छात्रों की संख्या के आधार पर 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष तक अलग-अलग होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को इन गतिविधियों के लिए स्कूल अनुदान से एक निश्चित राशि अलग रखने की भी सलाह दी जाती है।

इस विभाग ने दिसंबर**, 2018** में समग्र शिक्षा के तहत खेल अनुदान के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे**,** जिन्हें अगस्त**, 2023** में एनईपी**, 2020** की सिफारिश को शामिल करते हुए संशोधित किया गया था। इन दिशानिर्देशों में धन के उचित उपयोग**,** खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्कूलों में खेल के बुनियादी ढांचे/खेल के मैदान के अनुरक्षण पर प्रकाश डाला गया है। (https://samagra.education.gov.in/docs/revised_samagra_sports.pdf)।

परिणामों का निदान करने और नीतियों, शिक्षण प्रथाओं और अधिगम में आवश्यक हस्तक्षेप निर्धारित करने के लिए, सरकार विभिन्न मापदंडों के आधार पर विभिन्न आकलन करती है। विभाग द्वारा की गई पहलों के हिस्से के रूप में, देश भर के छात्र स्कूलों में खेल-संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2024 पर स्कूल समुदाय से 8.28 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर, विभाग ने स्कूलों में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई, 2024 तक 'शिक्षा सप्ताह' मनाया और तीसरे दिन को खेल दिवस के रूप में समर्पित किया, जिसमें देश भर में 4.48 करोड़ छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, विभाग खेल विभाग के सहयोग से स्कूलों में छात्रों को खेल गतिविधियों में शामिल करने के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया और फुटबॉल फॉर स्कूल्स (एफ4एस) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।

*****